

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 289] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 1979/आषाढ़ 25, 1901
No. 289] NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 1979/ASADHA 25, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1979

का. आ. 406 (अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति
मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग के आवृत्ति सं. 375(अ), तारीख 22 जुलाई,
1975 द्वारा (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त आवृत्ति कहा गया है) में सर्स ग्लोबल नेट
लि., कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध को उक्त आवृत्ति में निर्विष्ट
व्यक्तियों के निकाय ने 21 जुलाई, 1977 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है,
दो वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 405(अ), तारीख 20 जून, 1977 द्वारा उक्त आदेश को 21 जुलाई, 1979 तक की, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, दो वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त व्यक्तियों के नि्काय द्वारा 21 जुलाई, 1980 तक की, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि तक जारी रखा जाना चाहिए,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18 कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त आदेश 21 जुलाई, 1980 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[फा. सं. 4/3/75-सी.यू.एस.]

आर. एन. चोपड़ा, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 16th July, 1979

S.O. 406(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 375(E), dated the 22nd July, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Gluconate Lintied, Calcutta, had been taken over by the body of persons referred to in the said Order for a period of two years upto and inclusive of 21st July, 1977;

And whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 405(E), dated the 20th June, 1977, the duration of the said Order was extended for a further period of two years upto and inclusive of the 21st July, 1979;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said body of persons should continue for a further period of one year upto and inclusive of the 21st July, 1980;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18 AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of one year upto and inclusive of the 21st July, 1980.

[F. No. 4/3/75 CUS]

R. N. CHOPRA, Joint Secy.